उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,
लखनऊ – 226010

संख्या-48 /09/कम्प्यूटर अनुभाग (बारह)/2023-26/01-परीक्षा/2023

लखनऊ : दिनांक : 01 अप्रैल, 2026

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2023, ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा(प्रा०अ०प०-2022)/01 के अंतर्गत पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल रिक्त 1468 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 12.06.2023 थी।

प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा (मुख्य) के स्कोर के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी के उक्त रिक्त 1468 पदों के सापेक्ष अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु शार्टलिस्ट हो रहे 6113 अभ्यर्थियों का परिणाम मा० आयोग के अनुमोदनोपरांत दिनांक 17.10.2025 को घोषित किया गया था।

सूच्य है कि आवश्यक सूचना दिनांक 07.02.2026 द्वारा आयोग के विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत अर्हता / अभिलेख परीक्षण हेतु समय-समय पर शार्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट / निर्धारित पोर्टल पर आनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड करने के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, निर्देश एवं लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे। तदनुक्रम में विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा / 2023, ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा(प्रा०अ०प०-2022)/01 के अंतर्गत अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु शार्टलिस्ट हुये उक्त 6113 अभ्यर्थियों से ग्राम पंचायत अधिकारी पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र/अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट / निर्धारित पोर्टल से अपलोड कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु शार्टलिस्ट समस्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 07.04.2026 से अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि 06.05.2026 निर्धारित है।

प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट/निर्धारित पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत हैं:-

01- अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्र तथा अन्य अपेक्षित सुसंगत अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट / निर्धारित पोर्टल, https://upsssc.gov.in के माध्यम से ही अपलोड किए जाएँगे। किसी अन्य माध्यम (ई-मेल, डाक, व्यक्तिगत प्रस्तुति आदि) से भेजे गए अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

02- अभिलेख अपलोड करने का लिंक केवल निर्धारित तिथि एवं समयावधि तक ही सक्रिय रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात लिंक स्वतः निष्क्रिय (deactivate) हो जाएगा। अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित किए गए अभिलेख स्वीकार्य नहीं होंगे तथा अभिलेख अपलोड न करने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

03- लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण संख्या प्रविष्ट करेंगे। तत्पश्चात पंजीकृत मोबाइल नंबर / ई-मेल आई० डी० पर एक ओ०टी०पी० (One Time Password) प्राप्त होगा। उक्त ओ०टी०पी० को प्रविष्ट करने के उपरांत अभ्यर्थी लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन विवरण की सुरक्षा एवं गोपनीयता की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

04- अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम रंगीन (कलर) फोटो अपलोड करनी होगी। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए। फोटो के कम से कम 75% हिस्से में चेहरा (ठुड्डी से शिखर तक) स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो में बैकग्राउंड हल्का (सफेद / हल्का ग्रे) होना चाहिए। फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति, जानवर या वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। अभ्यर्थी पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन आँखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ (Neutral expression) रखें। आँखें खुली और सीधे कैमरे की ओर देखती हुई होनी चाहिए। फोटो का साइजः 50 KB से 100 KB के बीच तथा .jpg/.jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए।

05- विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रासंगिक / वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से वेबपोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि तक अपने अपलोड किये गये अभिलेखों को देखा (View) जा सकता है तथा अपलोड किये गये अभिलेखों में संशोधन (Modification) किया जा सकता है।

06- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हों। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय या विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो संबंधित अर्हता/आरक्षण का दावा अस्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकता है।

07- यदि किसी अर्हता के सापेक्ष अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र पृथक-पृथक हैं, तो अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर एक PDF फाइल के रूप में अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि PDF फाइल का न्यूनतम आकार 200 KB तथा अधिकतम आकार 02 MB से अधिक नहीं होना चाहिए।

08- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षिक विवरण आदि) तथा अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो। उक्त प्रविष्टियों एवं अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में भिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा तथा भिन्नता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

09- अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता, वैधता और प्रामाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आयोग किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन करा सकता है तथा अभिलेखों के असत्य, अवैध, कूटरचित अथवा भ्रामक होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

10- अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

11- आयोग अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

12- इंटरनेट, सर्वर, डिवाइस या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया समय से पूर्ण कर लें।

13- वांछित अभिलेख अपलोड न कर पाने, अपलोड किये गये अभिलेखों में संशोधन न कर पाने, तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई अथवा अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड न कर पाने के आधार पर किसी प्रकार का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

14- ***अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों के आधार पर ही पात्र / अर्ह पाये जाने की दशा में सम्बन्धित पद हेतु नियमानुसार चयन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी । अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किये जाने हेतु विशेष/अतिरिक्त सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें।***

15- अर्हता / अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किये जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अन्तिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन सम्बन्धी अन्तिम परिणाम यथासमय घोषित किया जायेगा।

16- उपर्युक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा तथा अपलोड किये गये अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

17- अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त अभ्यर्थी को Declaration से सहमत होते हुए वेरीफिकेशन कोड को प्रविष्ट कर SUBMIT बटन को क्लिक करना होगा। SUBMIT बटन को क्लिक करने के उपरान्त ही अभिलेख अपलोड करने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण होगी। अभिलेख अपलोड करने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी को स्क्रीन पर Print Form बटन प्रदर्शित होगा, जिसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

उपर्युक्त के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु शार्टलिस्ट 6113 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ***दिनांक 06-05-2026*** तक समस्त वांछित अभिलेख आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

01/04/2026

(अवनीश सक्सेना)
सचिव।